

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई, 2013

संख्या-1/एल1-10-13/2009 गृ0आ0 / श्रीमती गरिमा मल्लिक, भा0पु0से0 (2006) समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-2, डिहरी को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के पत्रांक-13018/2/2008-Estt. (L), दिनांक 11.09.2008 के आलोक में दिनांक 01.07.2013 से 27.12.2013 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती मल्लिक के अवकाश अवधि में समादेष्टा, बिहासर सैन्य पुलिस-3, बोध गया, अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-2, डिहरी तथा समादेष्टा, अश्वारोही सैन्य पुलिस, आरा अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, महिला सशस्त्र वाहिनी, सासाराम के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-13/2009 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2013  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-13/2009 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2013  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-13/2009 गृ0आ0 5101 /पटना, दिनांक 05 जुलाई, 2013  
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्रीमती गरिमा मल्लिक, भा0पु0से0 (2006) समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-2, डिहरी/समादेष्टा, बिहासर सैन्य पुलिस-3, बोध गया/समादेष्टा, अश्वारोही सैन्य पुलिस, आरा/समादेष्टा, महिला सशस्त्र वाहिनी, सासाराम/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।